ालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

ील संख्या :- 29/2017

सावित्री पत्नि स्व. श्री नारायण पत्नि खैराती उम्र 60 वर्ष जाति रैगर निवासी मुण्डावरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

हरबाई पुत्री स्व. नारायण पत्नि हरिराम उम्र 55 वर्ष निवासी बहरमपुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)।

देवकी पुत्री स्व. श्री नारायण पत्नि सुखराम उम्र 40 वर्ष निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)।

अपीलान्ट

बनाम

. सुरेन्द्र।

. राजू

. बनवारी पुत्रान स्व. श्री नारायण जाति रैगर निवासी जोधपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.।

. तहसीलदार कोटपूतली।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 42 दिनांक 26.05.1989 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली।

निर्णय दिनांक 26.9.19

अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरण संख्या 42 दिनांक 26.05.1989 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के विरूद्ध अपील पेश की है जो कि निम्मन प्रकार बिन्दुवार पेश की है।

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 361/0.18, 365/0.26, 368/0.46, 369/0.20, 371/0.47 बन्दोबस्त हाल वाके ग्राम किरारोड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार नारायण था जिसके अपीलान्ट पुत्रियां एवं रेस्पोडेंट 1 लगा. 3 पुत्र वारिसान काबिज कायम मुकामान जायदाद है तथा नारायण की मृत्यु के पश्चात विधिक कायम मुकाम अपीलान्ट हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/4 पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है।
2. यह है कि पटवारी हल्का ने गत सप्ताह अपीलान्ट को यह बताया कि उनके नाम उक्त आराजी का खाता नही खुला है इस पर अपीलान्ट द्वारा चारा जोही करने पर जानकारी हुई कि रेस्पोडेंट सं. 1 लगां 3 ने अपीलान्ट की बिना जानकारी मे लाये मनमानी तरीके से राज से मिलकर नामान्तरण स्वयं के नाम तथा माता घीसी देवी के नाम खुलवा लिया पक्षकारान की माता घीसी देवी की मृत्यु हो चुकी है जिसका तर्का अपीलान्ट व रेस्पोडेंट ने पाया है।
3. यह है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थीगण अपने माता–पिता की सम्पति मे रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण के साथ–साथ सह खातेदार काश्तकार है किन्तु नामान्तरण नही खुलने से हक तलफी है।
4. यह है कि अपीलान्ट अनपढ एवं परदानशीं महिलाये है जिनको उक्त नामान्तरण की जानकारी नही थी तथा जानकारी से अपील अन्दर मियाद है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कानून मियाद अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 42 दिनांक 26.05.1989 को अपास्त कर अपीलान्ट के नाम खाता खोले जाने की कृपा करे।

6. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई, रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडेंट की तलवी नियमानुसार कराई गई। रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से श्री जितेन्द्र रावत एड. उपस्थित आये।

7. बहस उभय पक्ष सुनी गई बकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस मे कथन किया कि विवादित खसरा नम्बरान हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार नारायण था जिस पर काबिज कायम मुकामान जायदाद है। नारायण की मृत्यु के पश्चात विधिक कायम मुकाम अपीलान्ट हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/4 पर बतौर खातेदार काबिज चली आ रही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा. 3 ने अपीलान्ट की बिना जानकारी मे लाये मनमानी तरीके से राज से मिलकर नामान्तरण स्वयं के नाम तथा माता घीसी के नाम खुलवा लिया। पक्षकार की माता घीसी देवी की मृत्यु हो चुकी है जिसका तर्का अपीलान्ट/रेस्पोडेंट ने पाया है। अपीलान्ट अनपढ एवं परदानशीं महिलाये है। अपने खेतों को सम्हलाने गांव आई तो पटवारी हल्का ने उनके नाम खाता नही खुलना बताया तब जाकर उक्त नामान्तरण की गत सप्ताह जानकारी हुई। इस कारण नियत समय मे अपील प्रस्तुत नही कर सके। जानकारी होने पर वकील नियुक्त कर बिना देरी किये श्रीमान के समक्ष अपील पेश कर दी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार माता पिता की सम्पति मे भाई बहनों का समान अधिकार है जबकि विधि विरूद्ध तरीके से मनमानी कर राज से मिल कर उक्त नामान्तरण संख्या 42 दिनांक 26.05.89 रेस्पोडेंट अपने नाम तथा माता घीसी देवी के नाम तहसीलदार कोटपूतली से स्वीकृत कराया है जो विधि विरूद्ध है एवं न्याय संगत नही है। इसलिए उक्त नामान्तरण को अपास्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम भी दर्ज किया जावे।

8. वकील रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई वकील रेस्पोडेंट ने बहस मे कथन किया है कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण बाबत शुरू से ही जानकारी है। उक्त नामान्तरण दिनांक 26.05.1989 को खोला गया था इतने लम्बे अर्से लगभग 28 वर्ष पश्चात उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की है जो मियाद बाहर पेश होने से प्रथम दृष्टिया ही खारिज होने योग्य है। यदि अपीलान्ट को अपने अधिकार तैय कराने है तो नियमित वाद से ही अधिकार तैय करा सकते है। इसलिए अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नही है। अतः अपील खारिज फरवाई जावे। वकील रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन मे आर.आर.टी. 2018(2) पेज 879 भैरू बनाम प्रताबी नजीर पेश की है।

9. वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य का अवलोकन किया। अवलोकन करने एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि नामान्तरण संख्या 42 दिनांक 26.05.1989 को नारायण रैगर फोत होने पर विरासत का नामान्तरण अपीलान्ट की माता घीसी देवी बेवा नारायण व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा. 3 के नाम तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकृत किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस मे कथन किया है कि नारायण की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काबिज चली आ रही है। रेस्पोडेंट ने स्वयं के नाम अपीलान्ट की बिना जानकारी के नामान्तरण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करा लिया तथा माता के नाम एवं स्वयं के नाम से उक्त नामान्तरण खुलवा लिया। गांव आने पर अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार माता पिता की सम्पति मे भाई बहनों का समान अधिकार है। उक्त नियमों को ताक मे

रखकर रेस्पोडेंट सं. 1 लगा. 3 ने तथा माता घीसी के नाम उक्त नामान्तरण स्वीकार कराया जो विधि विरूद्ध है। जिसको अपास्त किया जाना न्याय संगत है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि उक्त नामान्तरण के विरूद्ध लगभग 28 वर्ष पश्चात अपील पेश की है जो मियाद बाहर है। प्रथम दृष्टिया ही अपील खारिज होने योग्य है। उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश करने से खातेदार अधिकार तैय नही हो सकते है। इस हेतु सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद पेश कर ही अधिकार तैय करा सकते है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील पोषणीय नही है। चूंकि उक्त नामान्तरण संख्या 42 तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.05.1989 को नारायण की मृत्यु उपरान्त भरा जाकर स्वीकार हुआ है। लगभग 28 वर्ष पश्चात अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश की है जो अन्दर मियाद पेश होना नही पाया जाता है इतने विलम्ब से अपील नामान्तरण के विरूद्ध पेश की है उस बाबत ठोस साक्ष्य पेश होना नही पाया जाता है। इसलिए अपील अन्दर मियाद भी शुमार नही की जा सकती है जो प्रथम दृष्टिया ही अपील खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट को अपने अधिकार तैय कराने के लिए सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद पेश कर अधिकार तैय कराने हेतु चारा जोही करने के लिए स्वतंत्र है इसलिए अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नही है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा नामान्तरण संख्या 42 दिनांक 26.05.1989 स्वीकार द्वारा तहसीलदार बाबत आ0ख0नं0 361/0.18, 365/0.26, 368/0.46, 369/0.20, 371/0.47 हाल वाके ग्राम किरारोड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

11. यह निर्णय आज दिनांक 26.9.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)